अज़ अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

257/2021 बाजदायरी प्रार्थना पत्र फूला देवी प्रति डेवाराम

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2021/257 श्री भींयाराम चौधरी श्री	
29.11.21	यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र वास्ते पुनः नम्बर पर लिये जाने अपील श्री भींयाराम चौधरी एडवोकेट ने पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रार्थना पत्र वास्ते सुनवाई दिनांक 30.11.2021 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
30.11.21	प्रार्थना पत्र पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अभिभाषक प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपील दिनांक 23.11.2021 को मान्नीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु नियत था उस दिन अपीलार्थी व उसके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर अपील को अदम हाजरी एवं अदम हाजरी में खारिज कर दिया। अपीलांट के अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकें तथा अपीलांट को आवश्यकता होने पर बुलाने हेतु निर्देशित कर रखा था इस कारण अपीलांट भी उपस्थित नहीं हो सका। उक्त सद्भाविक त्रुटिवश ही अधिवक्ता अपीलार्थी उक्त अपील में उपस्थिति नहीं दे सका। अपीलार्थी व उसके अधिवक्ता की मंशा मान्नीय न्यायालय से अनुपस्थित रहने की नहीं थी व उनकी अनुपस्थिति सद्भाविक व युक्तियुक्त है। अपील को यदि पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुनवाई नहीं की गई तो अपीलार्थी अपने हक व अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा जो कि न्याय की कदापि मंशा नहीं है। मान्नीय न्यायालय से निवेदन है कि अपीलार्थी का उक्त आवेदन पत्र स्वीकार कर मान्नीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.11.2021 को अपास्त कर अपीलार्थी की अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करना उचित समझते हैं। **अतः बाजदायरी प्रार्थना पत्र बाबत् को स्वीकार किया जाता है एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	